न्यायालय जिला कलक्टर, बीकानेर

बईजलास श्री कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस., जिला कलक्टर, बीकानेर

नम्बर मुकदमा 09/15 रेफरेंस प्रार्थना पत्र

सरकार जरिये उपनिवेशन तहसीलदार, इगापन, पूगल

प्रार्थी

बनाम

1– अल्लादिता वल्द दायमखां मुसलमान साकिन थारूसर तहसील पूगल (फौत)
कायम मुकाम
1/1 मु. सलावत बेवा अल्लादिता 1/2 रमजान खां, नत्थु खां, सावण खां पिसरान अल्लादिता
1/3 मु. जवाई बेवा बुले खां वल्द अल्लादिता 1/4 मु.मांगी पुत्री अल्लादिता
2– नोपाराम वल्द लिखमाराम कुम्हार साकिन ढाणी कुम्हारान तहसील राजगढ़ जिला चुरू(फौत)
कायम मुकाम 2/1 श्रीमती परमेश्वरी बेवा नोपाराम 2/2हेतराम, बलवान, प्रेम कुमार पुत्रगण नोपाराम

अप्रार्थीगण

रेफरेंस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 एलआर एक्ट,1956

A14
1

1– प्रार्थी स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि
2– अप्रार्थी सं. 1/1 ता 1/4 की ओर से श्री तनवीर अली एड.
3– अप्रार्थी सं.2/1 व 2/2 की ओर से श्री विजय भादाणी एड.

आदेश दिनांक 16.12.19

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सहायक उपनिवेशन आयुक्त, छत्तरगढ़ मुख्यालय, बीकानेर द्वारा वाद सं. 78/91 में अल्लादिता बनाम नोपाराम व सरकार में पारित निर्णय दिनांक 03.02.92 से अल्लादिता के पक्ष में उपनिवेशन तहसील पूगल के चक 659 आरडी के मु.नं. 13/38 की18 बीघा भूमि की प्रविष्टि परिवर्तित करते हुए गैर खातेदारी दर्ज करने के आदेश दिये गये जबकिं यह रकबा खसरा नं. 27 का भाग न होकर ग्राम थारूसर के खसरा नं. 21 का भाग था। निर्णय दिनांक 03.02.92 विधि विरूद्ध होने के कारण इसे निरस्त करवाये जाने हेतु मामला राजस्व मण्डल, अजमेंर को रेफर करने की इस्तदुआ की गयी। रेफरेंस प्रार्थना पत्र उभयपक्ष को सुन कर प्रकरण सं. 63/07 सरकार बनाम अल्लादिता वगैराह आदेश दिनांक 12.07.2010 से माननीय राजस्व मंडल अजमेंर को रेफर किया गया। माननीय राजस्व मंडल अजमेंर ने रेफरेंस/एलआर/5447/2010/बीकानेर अनवान सरकार बनाम अल्लादिता वगैराह निर्णय दिनांक 1.10.13 द्वारा रेफरेंस नियमो के परिपेक्ष्य में होना पाते हुए स्वीकार करते हुए नामान्तरण सं. 127 दिनांक 16.01.98 से पूर्व की रिकार्ड की स्थिति बहाल करने के आदेश जारी किये। इस निर्णय के विरूद्ध माननीय राजस्व मंडल में नजरसानी सं. नजरडी/एलआर/6613/2013/बीकानेर अनवान रमजान खां बनाम परमेश्वरी में आदेश 20 मार्च 2015 पारित करते हुए रेफरेंस आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर आक्षेपित निर्णय दिनांक 12.07.2010 जिला कलेक्टर, बीकानेर निरस्त करते हुए प्रकरण इस आशय के साथ प्रति प्रेषित किया कि विधिक प्रावधानो का विधिवत परीक्षण करते हुए उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण में पुनः विधि अनुकुल निर्णय ले।

सत्य प्रतिलिपि

, बीकानेर

2– रेफरेंस रिमाण्ड प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभयपक्ष को तलब किया गया। प्रार्थी स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित हुवे। अप्रार्थी सं. 1/1 से 1/4 को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने के समुचित अवसर देने के बावजूद ना तो उनके द्वारा कोई साक्ष्य सबूत पेश किया गया और ना ही वे सुनवाई हेतु उपस्थित आये। अप्रार्थी सं. 2/1 व 2/2 की ओर से श्री विजय भादाणी एड. उपस्थित आये।

3– तदन्तर मामले के गुणावगुण पर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

4– स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि की बहस है कि विवादित अराजी चक 659 आरडी के मु.नं. 13/38 में 18 बीघा को खसरा नं. 27 की बताकर गैर खातेदारी की डिक्री प्राप्त की है परन्तु यह भूमि खसरा नं. 27 का भाग नहीं होकर खसरा नं. 21 का भाग है। सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मुख्यालय बीकानेर द्वारा वाद सं. 78/91 अल्लादिता बनाम नोपाराम व सरकार में पारित निर्णय दिनांक 03.02.92 के द्वारा अल्लादिता के पक्ष में जारी की गयी डिक्री प्रारंभ से ही शून्य है क्योंकि उपनिवेशन नियमो मे गैर खातेदारी प्रदान किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में रैफरेंस हेतु लिया गया निर्णय उचित है।

5– अप्रार्थी सं. 2/1 व 2/2 के विद्वान अधिवक्ता ने दौरान ए बहस कथन किया कि चक 659 आरडी के मु.नं. 13/38 में 25 बीघा भूमि अप्रार्थी सं. 2 की आवंटन शुदा अराजी रही है जो बतौर आवंटी उसके नाम से रिकार्ड में दर्ज है जिसे खारिज किए बिना नियमो के प्रतिकुल अल्लादिता के पक्ष में 18 बीघा की गैर खातेदारी दी जाना उचित नहीं है। उपनिवेशन नियमो में धारा 88 के तहत खातेदारी प्राप्त करने का कोई प्रावधान नही है। सिर्फ आवंटी के पक्ष में ही गैर खातेदारी घोषित की जा सकती है। अतः सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ के द्वारा वाद स. 78/91 अल्लादिता बनाम नोपाराम व सरकार में पारित निर्णय दिनांक 03.02.92 नियमो के विपरित होने के कारण रेफरेंस द्वारा ही अपास्त किया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में किया गया रेफरेंस उचित है।

6– हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अप्रार्थी अल्लादिता द्वारा चक 659 आरडी के मु.नं. 13/38 की 18 बीघा अराजी को खसरा नं. 27 मिन. का भाग होना बताते हुए संवत् 2020 से पूर्व का कब्जा बताते हुए कोलानाईजेशन एक्ट में धारा 88 के तहत गैर खातेदारी की घोषणा चाही थी। धारा 88 में पूराने कब्जे के आधार पर गैर खातेदारी घोषित किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। इस आधार पर सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर द्वारा प्रदत्त गैर खातेदारी की डिक्री विधिक प्रावधानो के अन्तर्गत नहीं है। कोलोनाईजेशन एक्ट में घोष्ण का दावा लाने एवं गैर खातेदारी प्रदानकरने का कोई प्रावधान नहीं है। सहायक आयुक्त उपनिवेशनछत्तरगढ़ द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर विधि विरूद्ध डिक्री पारित की गयी है जो खारिज योग्य है। चूंकि प्रकरण राजस्व भूमि से जुड़ा हुआ हैएवं विधि शून्य आदेश के विरूद्ध है। उपरोक्त विवेचन व विधिक प्रावधानो के परिपेक्ष्य में प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रप्रेषित किया जाना हम न्यायोचित पाते है। अतः माननीय राजस्व मंडल,अजमेंर को प्रकरण प्रेषित कर निवेदन है कि प्रश्नगत भूमि राजस्व रिकार्ड में आराजीराज दर्ज किये जाने के आदेश दिये जावें। उपस्थित पक्षकारान को निर्देश दिये जाते है कि वे माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष दिनांक 18.02.2020 को उपस्थित होवें ।

7. आदेश आज दिनांक 16.12.19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर,बीकानेर